न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू (राजस्थान)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या : 43/2023 मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 एलआर एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2026	आवेदक द्वारा जरिये वकील श्री संदीप महला प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 एलआर एक्ट का पेश किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि कस्बा बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में गत खसरा नं. 365 रकबा 5 बीघा 19 बिश्वा तथा हाल भूमि खसरा नं. 1958 कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी के दादा खमाराम पुत्र हरजीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात् खमाराम का निधन होने पर उक्त भूमि उसके पुत्र रामपाल को मिली एवं रामपाल की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार में आवेदक मांगीलाल को मिली। नामान्तरकरण में सहवन से आवेदक के दादा खमाराम का नाम आवेदक के पिता रामपाल के स्थान पर दर्ज कर दिया तथा नामान्तरण भर दिया तथा नामान्तरण में मांगीलाल पुत्र रामपाल के स्थान पर मांगेलाल पुत्र खमाराम जाति जांगिड़ दर्ज हो गया एवं अनावेदक द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया। जबकि खमाराम आवेदक का दादा है तथा उसके पिता रामपाल का दत्तक पिता है। जबकि आवेदक का वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति जांगिड़ है। वकील प्रार्थी को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, गोद पत्र, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की अभिषंशा की है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। —: आदेश :— प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा कस्बा बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में गत खसरा नं. 365 रकबा 5 बीघा 19 बिश्वा हाल भूमि खसरा नं. 1958 कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मांगेलाल पुत्र खमाराम जाति जांगिड़ के स्थान पर मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति जांगिड़ दुरूस्ती के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को खुले इजलास सुनाया गया। (कौशल्या बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)	